नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
कार्यालय निदेशक (कर)
पालिका केन्द्र, नई दिल्ली

दिनांक: 2 सितम्बर, 2019

सार्वजनिक सूचना

यह आम जनता तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (इसके बाद अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 70 के अनुसरण में, न.दि.न.प. क्षेत्र में सभी भूमि एवं भवनो के वर्ष 2019-2020 के लिए निर्धारण सूची, निरीक्षण के लिए कक्ष सं. 9003, 9वां तल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में उपलब्ध है। वर्ष 2018-2019 की निर्धारण सूची को उपयुक्त संशोधनों, यदि कोई हो, के बाद अधिनियम की धारा 73 के अधीन, न्यायालय के आदेश के अधीन, अधिनियम की धारा 72 के अधीन अथवा करयोग्य मूल्य के निर्धारण के बाद, अंगीकार करने का प्रस्ताव किया जाता है।

02. उपरोक्त निर्धारण सूची निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन होगी:

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.ए. नं. 903/30/2019 में अपने निर्णय दिनांक 22/01/2019 में यह निर्देशित किया है कि वे संपत्तियां जिनका निर्धारण न.दि.न.प. (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-विधि-2009 के अधीन किया गया है तथा जिनका निर्धारण कर निर्धारिती (assessee) के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, को पुनः नहीं खोला जायेगा। तद्नुरूप, कर योग्य मूल्य जो कि पूर्व में नियत/निर्णीत किया गया है तथा उपरोक्त निर्णय दिये जाने से पूर्व नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में रिकार्ड किया गया है, इन संपत्तियों के लिए इस वर्ष के लिए यथावत रहेगा।

(ii) कर निर्धारिती के संबंध में, जो कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष याचिकाकर्ता थे, निर्धारण सूची में उनके विरुद्ध दर्शाये गये कर योग्य मूल्य अनंतिम हैं तथा अधिनियम की धारा 63(1) पर आधारित इन संपत्तियों के विरुद्ध जारी नोटिसेज पर निर्णय के बाद परिवर्तन के अधीन हैं। इस बीच, इन मामलों के संबंध में निर्धारण सूची को अनंतिम माना जायेगा।

(iii) उस कर निर्धारिती के संबंध में, जो कि न तो याचिकाकर्ता थे अथवा न ही उप विधि को अंगीकार किया है, करयोग्य मूल्य का निर्धारण अधिनियम की धारा 63(1) के अधीन तुलना योग्य किराये के आधार पर किया जायेगा तथा इन मामलों के संबंध में, निर्धारण सूची को भी अनंतिम माना जायेगा।

03. प्रत्येक व्यक्ति जो कि निर्धारण सूची में शामिल किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी, पट्टाधारक अथवा कब्जाधारक हैं तथा इस प्रकार के व्यक्ति के प्राधिकृत प्रतिनिधि न.दि.न.प. के संपत्ति कर विभाग में सूची का निरीक्षण कर सकते हैं तथा इससे उद्धरण निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति के स्वामी अपना विवरण न.दि.न.प. वेबसाइट **www.ndmc.gov.in** पर पहले से दिये गये लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड के साथ भी जांच सकते हैं।

04. संपत्ति के स्वामी, सूची के विरुद्ध अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, दाखिल कर सकते हैं। इस सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में दिनांक 4 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जायेगा। हालांकि, 05/09/2019 से पूर्व अथवा 04/10/2019 के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों को निश्चित रूप से न.दि.न.प. वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में दिया जाना चाहिए तथा कक्ष सं. 9006, 9वां तल, पालिका केन्द्र, न.दि.न.प., नई दिल्ली में सभी कार्यदिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच में जमा करना होगा।

05. निर्धारण सूची की आपत्तियां वहां पर आवश्यक नहीं हैं जहां करयोग्य मूल्य को अधिनियम की धारा 72 के अधीन जारी लंबित नोटिसेज अथवा रिमांड बैक मामलों में अथवा लंबित संपत्ति कर रिटर्न्स के निर्धारण पर अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप न.दि.न.प. अधिनियम की धारा 63(1) के अधीन जारी की जाने वाली अनुपूरक नोटिसेज निर्णय के फलस्वरूप पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित होना है। उपरोक्त केवल अनंतिम है तथा अंतिम रूप के अधीन है।

हस्ता./-

(मुरारी लाल शर्मा)

निदेशक (कर)

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद